

Title: Demand to provide compensation to the farmers of Sriganaganar district of Rajasthan for the acquisition of their land used for barbed wire fencing at the border.

श्री निहाल चन्द चौहान (श्रीगंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सीमांत क्षेत्र श्रीगंगानगर के बारे में पिछली 30 मई को गृह मंत्री जी और पंजाब के मुख्य मंत्री जी के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। जिसमें कहा गया था कि राजस्थान के सीमांत क्षेत्र में जहां कंटीली तार लगाई हुई है, उसमें आई हुई 1020 किलोमीटर भूमि का मुआवजा वहां के किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन वह अभी तक नहीं मिला है। मेरा अनुरोध है कि कंटीली तार लगाने के कार्य में जो भूमि उसमें आई है, उसका मुआवजा किसानों को दिया जाए, क्योंकि किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उस भूमि पर न तो आसानी से किसान जा सकते हैं, न आसानी से अपनी उपज बो सकते हैं, न ही आसानी से सिंचाई कर सकते हैं और न ही आसानी से फसल काट सकते हैं। अगर वे जाते हैं तो बोर्डर पर तैनात बी.एस.एफ. के लोग उन्हें तंग करते हैं।

1227 बजे (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मेरा सरकार से आग्रह है कि उस 1020 किलोमीटर भूमि का मुआवजा तुरंत वहां के किसानों को दिया जाए। इससे पूर्व पंजाब सरकार ने अपने यहां इसी प्रकार से मुआवजा दिया है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार से कहे कि वहां के किसानों को भी मुआवजा दिया जाए।